BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 06 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के 09 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 54,000-54,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-जितेन्द्र पुत्र ओमवीर 2-राजीव पुत्र गजेन्द्र 3-सोमबीर सिंह पुत्र कन्छिद सिंह 4-अखिलेश पुत्र रविकिरन 5- ब्रहम सिंह पुत्र बिल्ले सिंह 6- गौरव पुत्र जगवीर सिंह 7- रौकी पुत्र जगवीर 8- संजीव पुत्र सुरेन्द्र 9- टीटू पुत्र सुन्दरपाल सिंह निवासीगण ग्राम भैयापुर थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में अपने ही गांव के ओमप्रकाश के घर में घुसकर उसके व परिवार वालो के साथ मारपीट कर घायल कर दिया था जिससे दौराने उपचार ओमप्रकाश की मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 10.09.2012 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं –411/12 धारा- 147,452,325,149,323,148,504,506,302,149 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.11.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 06.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे–13 स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण जितेन्द्र, राजीव, सोमबीर सिंह, अखिलेश, ब्रहम सिंह, गौरव, रौकी, संजीव व टीटू को सश्रम आजीवन कारावास व 54,000-54,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव व श्री रश्मि सोंलकी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर